

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (भाप्रविबो)

निवेशकों हेतु

शेयरों के पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण
संबंधी

संदर्भ मार्गदर्शिका



अधिग्रहण और शेयरों के पर्याप्त अर्जन से क्या अभिप्राय है ?

जब "अर्जनकर्ता", "लक्ष्य कंपनी" का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेता है, तो इसे अधिग्रहण (टेकओवर) कहा जाता है। जब अर्जनकर्ता लक्ष्य कंपनी के "शेयरों या मताधिकारों की पर्याप्त मात्रा" अर्जित कर लेता है, तो यह शेयरों के पर्याप्त अर्जन के नाम से जाना जाता है। इस संदर्भ में प्रयोग किये गये "पर्याप्त" शब्द को आगे स्पष्ट किया गया है।

लक्ष्य कंपनी (टारगेट कंपनी) क्या होती है ?

लक्ष्य कंपनी वह कंपनी है जिसके शेयर किसी स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध (लिस्टिड) होते हैं और जिसके शेयर या मताधिकार अर्जित किए गए हैं या अर्जित किये जा रहे हैं अथवा जिसका नियंत्रण अर्जनकर्ता ने अपने हाथ में ले लिया है / ले रहा है।

अर्जनकर्ता कौन होता है ?

अर्जनकर्ता से अभिप्राय है - कोई व्यक्ति / कंपनी / कोई अन्य विधिक संस्था(एंटीटी) जो लक्ष्य कंपनी के शेयरों या मताधिकारों की पर्याप्त मात्रा अर्जित करने का इरादा रखते हैं या अर्जित करते हैं अथवा लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण अर्जित करते हैं या अर्जित करने के लिए सहमत होते हैं। इसमें वे व्यक्ति भी शामिल हैं जो अर्जनकर्ता के साथ सामान्य मति से कार्य करते हैं।

"सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति" - इस पद से क्या अभिप्राय है ?

सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्ति हैं - व्यक्ति / कंपनी(कंपनियाँ) / कोई अन्य विधिक संस्था(संस्थाएँ) जो सामान्य उद्देश्य हेतु अथवा शेयरों या मताधिकारों के पर्याप्त अर्जन के प्रयोजन हेतु एक साथ कार्य कर रहे हैं अथवा जो करारनामे या समझौते के अनुसरण में लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण पा रहे हैं, फिर भले ही वह करारनामा या समझौता औपचारिक हो या अनौपचारिक। सामान्य मति से कार्य करना - इस पद का निहितार्थ है - मताधिकारों या नियंत्रण के अर्जन के लिए प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः सहयोग देना, समन्वय करना।

सामान्य मति से कार्य करने वाला व्यक्ति - यह अवधारणा शेयरों के पर्याप्त अर्जन के संदर्भ में महत्वपूर्ण मानी जाती है, क्योंकि एक अर्जनकर्ता के लिए एक कंपनी में किसी अन्य व्यक्ति के साथ "सामान्य मति से" शेयरों या मताधिकारों को ऐसी रीति में अर्जित करना संभव है कि उनके द्वारा किया गया अर्जन व्यक्तिगत रूप से निर्धारित (थ्रेशोल्ड) सीमा के नीचे रहे किंतु सामूहिक रूप से यह निर्धारित (थ्रेशोल्ड) सीमा से अधिक हो सकता है।

जब तक कि प्रतिकूल सिद्ध नहीं हो जाता, चुनींदा संस्थाओं को सामान्य मति से कार्य करने वाला माना जाता है, जैसे कंपनियों के साथ उनकी धारिता (होलिडिंग) कंपनी या सहायक कंपनी, पारस्परिक निधियों (म्युचुअल फंड) के साथ उनके प्रायोजक / न्यासी / आस्ति प्रबंध कंपनी आदि ।

शेयरों अथवा मताधिकारों की पर्याप्त मात्रा को कैसे परिभाषित किया गया है ?

भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड (शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण) विनियम, 1997 में शेयरों या मताधिकारों की पर्याप्त मात्रा को दो भिन्न प्रयोजनों हेतु स्पष्ट रूप से परिभाषित किया गया है:

(I) अर्जनकर्ता(कर्ताओं) द्वारा किये जाने वाले निर्धारित (थ्रेशोल्ड) प्रकटीकरण (डिस्कलोजर) :

1) 5% या इससे अधिक शेयर या मताधिकार : व्यक्ति जो, सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों के साथ, यदि कोई हों, (सामूहिक रूप से इसमें इसके पश्चात् "अर्जनकर्ता" के रूप में निर्दिष्ट) शेयर या मताधिकार (जो जब उसकी विद्यमान शेयरधारिता के साथ लिये गये) अर्जित करता है उसे लक्ष्य कंपनी के 5 या 10% या 14% शेयरों या मताधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बना देगा, से यह अपेक्षित है कि वह अर्जन के 2 कार्यदिवसों के भीतर अथवा शेयरों के आबंटन की सूचना की प्राप्ति के 2 कार्यदिवसों के भीतर लक्ष्य कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को अपनी कुल शेयरधारिता प्रकट करे ।

2) 15% से अधिक शेयर या मताधिकार

क) कोई व्यक्ति जो लक्ष्य कंपनी के 15% से अधिक शेयर या मताधिकार धारण करता है, और जो 2% या इससे अधिक शेयर खरीदता या बेचता है, लक्ष्य कंपनी तथा स्टॉक एक्सचेंजों को 2 दिनों के भीतर अपनी कुल शेयरधारिता सहित ऐसी खरीद / बिक्री को प्रकट करेगा ।

ख) कोई व्यक्ति जो 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तथा लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु नियत रिकॉर्ड-तिथि से 21 दिनों के भीतर लक्ष्य कंपनी के 15% से अधिक शेयर या मताधिकार धारण करता है, प्रत्येक वर्ष अपनी कुल शेयरधारिता लक्ष्य कंपनी को प्रकट करेगा । फिर, लक्ष्य कंपनी से यह अपेक्षित है कि वे उन समस्त स्टॉक एक्सचेंजों को प्रत्येक वर्ष 31 मार्च को समाप्त होने वाले वित्तीय वर्ष से तथा लाभांश की घोषणा के प्रयोजन हेतु नियत रिकॉर्ड-तिथि से 30 दिनों के भीतर सूचित करें, जिन स्टॉक एक्सचेंजों में लक्ष्य कंपनी के शेयर सूचीबद्ध हैं ।

(II) अर्जनकर्ता द्वारा खुला-प्रस्ताव लाने के लिए निर्धारित समय-बिंदु (ट्रिगर-पॉइंट)

1) 15% शेयर या मताधिकार : अर्जनकर्ता, जो शेयरों को अर्जित करने का इरादा रखता है जो उसे उसकी विद्यमान शेयरधारिता सहित 15% या इससे अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बना देगा, केवल खुले-प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों से लक्ष्य कंपनी की कम से कम अतिरिक्त 20% मतदान पूंजी अर्जित करने के लिए सार्वजनिक घोषणा करने के पश्चात् ही ऐसे अतिरिक्त शेयर अर्जित कर सकता है ।

2) मंदगामी (क्रीपिंग) अर्जन सीमा : अर्जनकर्ता जिसके पास लक्ष्य कंपनी के 15% या इससे अधिक किंतु 75% से कम शेयर या मताधिकार हैं, ऐसे अतिरिक्त शेयर अर्जित कर सकता है जो कि उसे केवल खुले-प्रस्ताव के माध्यम से शेयरधारकों से लक्ष्य कंपनी के कम से कम 20% शेयर अर्जित करने के लिए सार्वजनिक घोषणा करने के पश्चात् ही किसी वित्तीय वर्ष में 5% से अधिक मताधिकारों का प्रयोग करने का हकदार बना देगा ।

3) धारिता(होल्डिंग) का समेकन : अर्जनकर्ता, जिसके पास लक्ष्य कंपनी के 75% शेयर या मताधिकार हैं, केवल लक्ष्य कंपनी के शेयरधारकों से खुले-प्रस्ताव के माध्यम से ही अतिरिक्त शेयर या मताधिकार अर्जित कर सकता है ।

"नियंत्रण" का क्या अर्थ है ?

नियंत्रण में सम्मिलित है - प्रत्यक्षतः या अप्रत्यक्षतः अथवा करारनामों के फलस्वरूप अथवा किसी अन्य रीति से लक्ष्य कंपनी के बोर्ड में बहुसंख्यक निदेशकों को नियुक्त करने का अधिकार, अथवा लक्ष्य कंपनी को प्रभावित करने वाले प्रबंधन या नीतिगत निर्णयों पर नियंत्रण रखने का अधिकार ।

सार्वजनिक घोषणा क्या होती है ?

सार्वजनिक घोषणा वह घोषणा होती है - जो अर्जनकर्ता द्वारा समाचारपत्रों में, मुख्यतया खुले-प्रस्ताव के जरिये मौजूदा शेयरधारकों से लक्ष्य कंपनी के शेयरों को अर्जित करने के, अपने इरादे को प्रकट करने के लिए की जाती है ।

मुझे सार्वजनिक घोषणा में किस प्रकार की जानकारी प्राप्त होती है ?

घोषणा में जिन तथ्यों को प्रकट किया जाता है उनमें सम्मिलित हैं - प्रस्ताव की कीमत, जनता से अर्जित किये जाने वाले शेयरों की संख्या, अर्जनकर्ता की पहचान, अर्जन का प्रयोजन, अर्जनकर्ता की लक्ष्य कंपनी के संबंध में भावी योजनाएँ, यदि कोई हों, लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो, शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये शेयरों को स्वीकार करने में अर्जनकर्ता द्वारा अपनायी जाने

वाली प्रक्रिया और वह अवधि जिसके भीतर प्रस्ताव से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जायेगा ।

सार्वजनिक घोषणा का उद्देश्य क्या है ?

सार्वजनिक घोषणा यह सुनिश्चित करने के लिए की जाती है कि लक्ष्य कंपनी के शेयरधारकों को आगामी खुले-प्रस्ताव के जरिये बाहर जाने का जो अवसर उपलब्ध है, उससे वे परिचित हैं ।

सार्वजनिक घोषणा किसे और कब करनी होती है ?

अर्जनकर्ता से अपेक्षित है कि वह शेयरों को अर्जित करने के लिए करार करने के अथवा लक्ष्य कंपनी के शेयरों/मताधिकारों को अर्जित करने का निर्णय लेने के अथवा ऐसे किसी परिवर्तन या परिवर्तनों के पश्चात् - जिससे या जिनसे लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण में परिवर्तन आ जायेगा, चार कार्य-दिवसों के भीतर मर्चेन्ट बैंककार के जरिये सार्वजनिक घोषणा करे ।

प्रस्ताव-पत्र (लैटर ऑफ ऑफर) क्या होता है ?

प्रस्ताव-पत्र वह दस्तावेज होता है जो लक्ष्य कंपनी के शेयरधारकों को संबोधित होता है, जिसमें अर्जनकर्ता/सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों, लक्ष्य कंपनी, उनकी वित्त-संबंधी सूचनाओं, प्रस्ताव कीमत के औचित्य, प्रस्ताव कीमत, जनता से अर्जित किये जाने वाले शेयरों की संख्या, अर्जन के प्रयोजन, अर्जनकर्ता की लक्ष्य कंपनी के संबंध में भावी योजनाओं, यदि कोई हों, लक्ष्य कंपनी पर नियंत्रण में परिवर्तन, यदि कोई हो, शेयरधारकों द्वारा प्रस्तुत किये गये शेयरों को स्वीकार करने में अर्जनकर्ता द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया और अवधि - जिसके भीतर प्रस्ताव से संबंधित समस्त औपचारिकताओं को पूरा कर लिया जायेगा, से संबंधित तथ्यों को प्रकट किया जाता है ।

क्या भाप्रविबो (सेबी) मसौदा (ड्राफ्ट) प्रस्ताव-पत्र को "अनुमोदन" देता है ?

नहीं । भाप्रविबो (सेबी) न तो प्रस्ताव-पत्र को मंजूरी देता है, न ही इसका पुनरीक्षण करता है और न ही इसे अनुमोदन देता है ।

यद्यपि अर्जनकर्ता प्रस्ताव-पत्र में जानकारी की शुद्धता, पर्याप्तता तथा इसे प्रकट किये जाने के लिए प्राथमिक तौर पर जिम्मेदार है, लेकिन मर्चेन्ट बैंककार से यह प्रत्याशित है कि वे इस बात को सुनिश्चित करने में सम्यक तत्परता बरतें कि अर्जनकर्ता अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाता है ।

लक्ष्य कंपनी का शेयरधारक होने के नाते मैं प्रस्ताव-पत्र कब प्राप्त कर सकता हूँ ?

मर्चेट बैंककार उन समस्त शेयरधारकों को प्रस्ताव-पत्र, सार्वजनिक घोषणा की तारीख से 45 दिनों के भीतर रिक्त स्वीकृति-फॉर्म के साथ भेजेगा, जिनके नाम विनिर्दिष्ट तारीख को कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होते हैं ।

मैं कितनी अवधि के भीतर प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूँ ?

प्रस्ताव 30 दिनों के लिए खुला रहता है । आपसे अपेक्षित है कि आप अपना/अपने शेयर प्रमाणपत्र/संबंधित दस्तावेज, सार्वजनिक घोषणा तथा प्रस्ताव-पत्र में यथा विनिर्दिष्ट तौर पर, रजिस्ट्रार या मर्चेट बैंककार को भेजें, ताकि अंतिम तारीख से पहले-पहले सुपुर्दगी / जमा(क्रेडिट) हो जाये । आपको सलाह दी जाती है कि आप ऐसे दस्तावेजों को पंजीकृत डाक से भेजें । इन दस्तावेजों को किसी भी परिस्थिति में अर्जनकर्ता को न भेजें ।

मुझे प्रस्ताव में स्वीकृत शेयरों का भुगतान कितनी अवधि के भीतर प्राप्त हो जायेगा ?

अर्जनकर्ता से अपेक्षित है कि वह उन समस्त शेयरधारकों को प्रतिफल का भुगतान प्रस्ताव के बंद होने से 30 दिनों के भीतर करे, जिनके शेयरों को प्रस्ताव के अंतर्गत स्वीकार कर लिया जाता है ।

खुले प्रस्ताव में कीमत का निर्धारण कैसे होता है ?

भाप्रविबो (सेबी) न तो प्रस्ताव कीमत के संबंध में निर्णय लेता है और न ही इसे अनुमोदन देता है ।

अर्जनकर्ता / मर्चेट बैंककार से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि प्रस्ताव कीमत के निर्धारण हेतु समस्त संबद्ध मानदंडों पर विचार किया जाता है और यह कि इसके औचित्य को प्रस्ताव-पत्र में प्रकट किया जाता है । संबद्ध मानदंड हैं :

क. करारनामे के अधीन बातचीत से तय कीमत जिससे खुला-प्रस्ताव निकला ।

ख. किन्हीं अर्जनों हेतु अर्जनकर्ता अथवा उसके साथ सामान्य मति से कार्य करने वाले व्यक्तियों द्वारा अदा की गई उच्चतम कीमत, जिसमें सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्व 26 सप्ताह की अवधि के दौरान सार्वजनिक या साधिकार (राइट्स) या अधिमानी (प्रेफरेंशियल) निर्गम (इश्यू) में आबंटन के जरिये भी शामिल है ।

ग. उन स्टॉक एक्सचेंजों में यथा उल्कथित शेयरों के बंद भावों के साप्ताहिक उच्च एवं निम्न का औसत, जहाँ लक्ष्य कंपनी के शेयरों का व्यापार 26 सप्ताह के दौरान बारंबार होता है अथवा सार्वजनिक घोषणा की तारीख से पूर्व 2 सप्ताहों के दौरान शेयरों की दैनिक उच्च एवं निम्न कीमतों का औसत ।

यदि लक्ष्य कंपनी के शेयरों का व्यापार बारंबार नहीं होता, तो उपर्युक्त बिंदु(ग) के बजाय, कंपनी के मूलभूत-सिद्धांतों पर आधारित मानदंडों यथा कंपनी की शुद्ध-मालियत पर प्रतिफल, प्रति शेयर बही-मूल्य (बुक वैल्यू), ई.पी.एस. आदि, पर विचार किया जाना तथा इन्हें प्रकट किया जाना अपेक्षित है ।

गैर-प्रतियोगी(नॉन-कंपीट) करारनामे हेतु प्रस्ताव कीमत के 25% से अधिक अदा की गई किसी रकम को, प्रस्ताव कीमत में जोड़ दिया जायेगा ।

इस बात को निर्धारित करने के लिए क्या मानदंड हैं कि लक्ष्य कंपनी के शेयरों का व्यापार बारंबार होता है या नहीं ?

लक्ष्य कंपनी के शेयरों का व्यापार बारंबार हुआ नहीं समझा जायेगा, यदि जिस महीने में सार्वजनिक घोषणा की जाती है उस महीने से पूर्व पूर्ववर्ती 6 कलेंडर महीनों के दौरान उस शेयर में वार्षिक व्यापारिक व्यापारावर्त (ट्रेडिंग टर्नओवर) सूचीबद्ध (लिस्टिड) शेयरों के 5% (शेयरों की संख्या द्वारा) से कम है । यदि उक्त व्यापारावर्त 5% है या इससे अधिक है, तो यह समझ लिया जायेगा कि शेयरों का व्यापार बारंबार हुआ है ।

क्या केवल वही शेयरधारक खुले प्रस्ताव में अपने शेयर देने के लिए पात्र हैं, जिनके नाम किसी विनिर्दिष्ट तारीख को लक्ष्य कंपनी के रजिस्टर में दर्ज होते हैं ?

नहीं । कोई ऐसा शेयरधारक - जो प्रस्ताव के बंद होने की तारीख को या से पूर्व शेयर धारण करता है, प्रस्ताव में भाग लेने का पात्र है ।

प्रतियोगी बोली (कंपीटीटिव बिड) क्या होती है ?

प्रतियोगी बोली उस अर्जनकर्ता से भिन्न व्यक्ति द्वारा किया गया प्रस्ताव है, जिसने पहली सार्वजनिक घोषणा की हो ।

यदि मैंने कम कीमत पर पहले प्रस्ताव स्वीकार कर लिया हो, तो क्या मैं, प्रतियोगी बोली के मामले में, बेहतर प्रस्ताव को स्वीकार कर सकता हूँ ?

हाँ, स्वीकार किये गये प्रस्ताव की जगह, विभिन्न प्रस्तावों में से किसी को भी स्वीकार किया जा सकता है। शेयरधारक के पास यह विकल्प है कि वह प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से पूर्व तीन कार्य-दिवसों तक उसके द्वारा की गई स्वीकृति को वापस ले सके।

शेयरधारकों को इस बात का फैसला करने में, कि मौजूदा प्रस्तावों में से कौन सा प्रस्ताव बेहतर है, समर्थ बनाने के लिये, और यह भी कि उन्हें अंतिम क्षण में फैसला न लेना पड़े / वे उलझन में न पड़ें, प्रस्ताव की कीमत तथा इसके आकार को - प्रस्तावों के बंद होने की तारीख से पूर्व अंतिम 7 कार्य-दिवसों हेतु प्रभावी रूप से स्थिर कर दिया जाता है। आप प्रस्ताव कीमत एवं प्रस्तावों के आकार में यदि कोई बढ़ोतरी हो रही हो, तो उसकी जानकारी रखने के लिए, उस अवधि के प्रारंभ होने तक प्रतीक्षा कर सकते हैं।

क्या अर्जनकर्ता एक बार प्रस्ताव करने के बाद इसे वापस ले सकता है ?

नहीं। एक बार प्रस्ताव करने के बाद इसे, निम्नलिखित परिस्थितियों के सिवाय, वापस नहीं लिया जा सकता :

- अपेक्षित कानूनी अनुमोदन नामंजूर कर दिया गया है / दिये गये हैं ;
- प्रकृत (नेचुरल) व्यक्ति होने के नाते एकमात्र अर्जनकर्ता की मृत्यु हो गई है ;
- ऐसी परिस्थितियाँ जिनमें बोर्ड की राय हो कि इसे वापस ले लिया जाना चाहिये।

यदि मुझे प्रस्ताव-पत्र प्राप्त न हुआ हो, तो मैं प्रस्ताव का लाभ कैसे उठा सकता हूँ ?

सार्वजनिक घोषणा में ऐसे मामलों की प्रक्रिया का जिक्र होता है, जिनमें शेयरधारकों को प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होते अथवा समय पर प्रस्ताव पत्र प्राप्त नहीं होते। प्रायः शेयरधारकों को यह सलाह दी जाती है कि वे प्रस्ताव के रजिस्ट्रार, यदि कोई हो, अथवा मर्चेन्ट बैंककार को अपनी सम्मति, प्रस्ताव के बंद होने से पहले, सादे कागज पर, अपना नाम, पता, धारित शेयरों की संख्या, डिस्टिंक्टिव फोलियो सं., प्रस्तावित शेयरों की संख्या तथा बैंक-विवरण का ब्यौरा देते हुए लिख भेजें और साथ में सार्वजनिक घोषणा में उल्लिखित दस्तावेज भी भेजें। सार्वजनिक घोषणा तथा प्रस्ताव-पत्र, तथा स्वीकृति के फॉर्म भाप्रविबो (सेबी) के वेबसाइट www.sebi.gov.in पर उपलब्ध है।

क्या मेरे लिये प्रस्ताव को स्वीकार करना जरूरी है ?

नहीं। प्रस्ताव को स्वीकारने अथवा नकारने का फैसला पूरी तरह से आप पर निर्भर है।

मैं यह निर्णय कैसे लूँ कि मुझे शेयर अपने पास रखने चाहियें या मुझे प्रस्ताव को स्वीकार कर लेना चाहिये या मुझे शेयर बाजार में शेयर बेच देने चाहियें ?

आपको शेयर अपने पास रखने चाहियें या आपको यह प्रस्ताव स्वीकार कर लेना चाहिये या आपको शेयर बाजार में शेयर बेच देने चाहियें - यह फैसला आप ही को लेना है । हालाँकि, आपको प्रस्ताव-पत्र का अवलोकन करना चाहिये और फिर विभिन्न कारकों जैसे प्रस्ताव की कीमत, प्रस्ताव के अंतर्गत स्वीकार की जाने वाली शेयरों की संख्या आदि पर विचार करने के पश्चात् आपको इस संबंध में निर्णय लेना चाहिये ।

यदि प्रस्ताव के तहत मुझे भुगतान देरी से किया जाता है, तो क्या मुझे इसका मुआवजा मिलेगा ?

अर्जनकर्ताओं से अपेक्षित है कि वे उन शेयरधारकों को प्रतिफल का भुगतान प्रस्ताव के बंद होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर कर दें, जिन्होंने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है । यदि भुगतान में विलंब की वजह कानूनी अनुमोदनों की अप्राप्ति है, और यदि यह विलंब अर्जनकर्ता की ओर से जानबूझकर की गई चूक या उपेक्षा की वजह से नहीं हुआ है, तो अर्जनकर्ता विनियमों के अनुसार विलंबित अवधि हेतु शेयरधारकों को ब्याज अदा करने के दायी होंगे ।

यदि प्रतिफल के भुगतान में विलंब उपर्युक्त कारणों से नहीं हुआ है, तो इसे विनियमों का उल्लंघन माना जायेगा और इसीलिये अर्जनकर्ता विनियमों के निबंधनों के अनुसार अन्य कार्रवाई के लिए भी दायी होगा ।

क्या अर्जनकर्ता के लिये यह जरूरी है कि वह खुले-प्रस्ताव के तहत मेरे समस्त शेयर स्वीकार करे ?

नहीं । यदि प्रस्ताव के तहत अर्जनकर्ता द्वारा प्राप्त शेयर, उसके द्वारा अर्जित किये जाने हेतु सहमत शेयरों से अधिक हैं, तो स्वीकृति समानुपातिक आधार पर की जायेगी ।

अधिग्रहण (टेकओवर) प्रक्रिया में कौन-से रक्षोपाय सम्मिलित हैं, जिनसे यह सुनिश्चित हो सके कि मुझे प्रस्ताव के तहत भुगतान मिले / मेरे शेयर प्रमाणपत्र वापस मिलें ?

सार्वजनिक घोषणा करने से पूर्व, अर्जनकर्ता को, अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक में जमा नकदी अथवा मर्चेट बैंककार के पक्ष में बैंक गारंटी अथवा मर्चेट बैंककार के पास उपयुक्त मार्जिन वाली स्वीकार्य प्रतिभूतियों की जमा के रूप में, निलंब खाता (एस्करो एकाउंट) खोलना होता है । मर्चेट बैंककार से यह भी अपेक्षित है कि वह इस बात की पुष्टि करे कि प्रस्ताव बाध्यताओं को पूरा करने के लिए पक्के

वित्तीय इंतजाम हैं। यदि अर्जनकर्ता भुगतान करने में असफल रहता है, तो मर्चेट बैंककार को अधिकार है कि वे निलंब खाते को ज़ब्त कर लें तथा आगमों (प्रोसीड्स) को लक्ष्य कंपनी, प्रादेशिक स्टॉक एक्सचेंजों (निवेशक संरक्षण निधि में जमा करने के लिए) तथा जिन शेयरधारकों ने प्रस्ताव को स्वीकार किया है उन शेयरधारकों में समान रूप से वितरित कर दें।

मर्चेट बैंककार से अपेक्षित है कि वे यह सुनिश्चित करें कि रजिस्ट्रार / मर्चेट बैंककार की अभिरक्षा में रखे हुए अस्वीकृत दस्तावेज शेयरधारक को पंजीकृत डाक द्वारा वापस भेज दिये जायें।

क्या निर्धारित सीमाओं से अधिक शेयरों या मताधिकारों के समस्त प्रकार के अर्जनों में यह लाजिमी है कि अर्जनकर्ता सार्वजनिक घोषणा के बाद खुला-प्रस्ताव करे ?

नहीं। चुनींदा प्रकार के अर्जनों को विनिर्दिष्ट तौर पर खुले प्रस्ताव की प्रक्रिया से छूट दी गई है, बशर्ते कि अर्जनकर्ता ऐसे अर्जनों हेतु अपेक्षाओं/शर्तों, जो भी लागू हों, का अनुपालन करे। ऐसी छूटों में सार्वजनिक निर्गमों(पब्लिक इश्यू) में पक्के आबंटन, साधिकार निर्गमों(राइट्स इश्यू), समूह कंपनियों, नातेदारों, संप्रवर्तकों(प्रोमोटर्स) के बीच परस्पर अंतरण(ट्रांसफर) आदि से उद्भूत अर्जन भी शामिल हैं।

यदि अर्जनकर्ता / लक्ष्य कंपनी / मर्चेट बैंककार विनियमों के उपबंधों का उल्लंघन करता है, तो क्या होता है ?

विनियमों में अर्जनकर्ता, लक्ष्य कंपनी तथा मर्चेट बैंककार की साधारण बाध्यताएँ अधिकथित हैं। इन बाध्यताओं का पालन करने में विफल रहने पर तथा विनियमों के अन्य उपबंधों संबंधी विफल रहने/अनुपालना न किये जाने हेतु, विनियमों में अनुपालना न किये जाने हेतु शास्तियाँ(दंड) अधिकथित हैं।

क्या कंपनियों का विलयन (मर्जर) तथा समामेलन (एमाल्गामेशन) भी भाप्रविबो (सेबी) के विनियामक दायरे में आता है ?

नहीं। सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों का पर्याप्त अर्जन और अधिग्रहण ही केवल भाप्रविबो (सेबी) के विनियामक दायरे में आता है। विलयन तथा समामेलन भाप्रविबो के दायरे से बाहर हैं और ये कंपनी अधिनियम, 1956 की विषय-वस्तु हैं।

मैं शिकायत के निवारण / अधिक जानकारी के लिए किनसे संपर्क कर सकता हूँ ?

आपको इस संबंध में संबद्ध मर्चेट बैंककार से संपर्क करना चाहिये । यदि आप उनके प्रत्युत्तर से संतुष्ट न हों, तो आप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड के कार्यालय, जिसका पता है - मित्तल कोर्ट, बी विंग, पहली मंज़िल, नरिमन पॉइंट, मुंबई-400021, के अधिग्रहण प्रभाग (टेकओवर डिवीजन) को अपनी शिकायत लिखकर भेज सकते हैं ।

आप भारतीय प्रतिभूति और विनियम बोर्ड का वेबसाइट www.sebi.gov.in भी देख सकते हैं ।

दावात्याग : इस जानकारी का संकलन इस प्रकार किया गया है कि पाठक मोटे तौर पर विषय को समझ सके और यह जानकारी साधारण स्वरूप की है । इस जानकारी की विषय-वस्तु का तात्पर्य विनियमों, अधिनियमों, नियमों, परिपत्रों अथवा मार्गदर्शक सिद्धांतों को स्पष्ट करना अथवा इनकी व्याख्या करना नहीं है ।